न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 88 / 2017 अपील

1. श्रीमती आशा देवी पत्नी धर्मीचन्द गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा
2. प्राधिकृत अधिकारी (अधिशासी अधिकारी) नगर पालिका आसीन्द जिला भीलवाडा

– प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरूद्व नामान्तरकरण आदेश सं. 3479 दिनांक 07.07.2017
तहसीलदार आसीन्द

उपस्थित –
1. श्री रामेश्वरलाल जाट अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. पैरोकार सरकार – प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से
3. दुदाराम कुमावत अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार आसीन्द को बमामलें नामान्तरकरण आदेश सं. 3479 दिनांक 07.07.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम आसीन्द तहसील आसीन्द की सरहद में अपीलार्थीया के खातेदार की अधिकार की आराजी सं. 7289 / 3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. स्थित हैं। अपीलार्थीया इस भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना चाहता हैं। इस हेतु नगर पालिका आसीन्द में प्रार्थना पत्र पेश किया । नगर पालिका आसीन्द ने तहसीलदार आसीन्द को प्लान का भौतिक सत्यापन हेतु पत्र भेजा । तहसीलदार आसीन्द की सकारात्मक रिपोर्ट होने पर नगर पालिका आसीन्द द्वारा दिनांक 04.11.2016 को अखबार में लोक सूचना प्रकाशित की । इसके बाद सहायक नगर नियोजक कार्यालय जिला नगर नियोजक ईकाई भीलवाडा द्वारा दिनांक 23.12.2016 को साईट प्लान स्वीकृत किया गया । नगर पालिका आसीन्द द्वारा तहसीलदार आसीन्द को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु अनापत्ति चाही जिस पर तहसीलदार आसीन्द ने अपने पत्र द्वारा लिखा कि " आवेदित भूमि किसी निर्बाधित प्रवर्ग में नहीं हैं तथा गैर कृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती हैं। इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी (अधिशासी अधिकारी) नगर पालिका आसीन्द ने अपने आदेश दिनांक 07.04.2017 द्वारा भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार कर तहसीलदार आसीन्द को भूमि का स्थानीय प्राधिकारी के नाम 7 दिवस में नामान्तरण खोलने का आदेश प्रदान किया । इस पर तहसीलदार

आसीन्द ने नियमों के विरूद्व जाकर नामान्तरण सं. 3479 दिनांक 07.07.2017 को निरस्त कर दिया जो विधि एवं तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द ने अपने आदेश कमांक /दस्ती/955 दिनांक 20.04.2017 द्वारा भूमि को संपरिवर्तन करने का आदेश पारित किया फिर भी भूमि का नामान्तरण नगर पालिका आसीन्द के नाम पर नही खोल भारी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय आसीन्द ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा हैं कि आवेदित भूमि किसी निर्बाधित प्रवर्ग में नहीं हैं तथा गैर कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है तथा धारा 90 (क) राज. भू राजस्व अधिनियम के अधीन आदेश से कृपया सूचित करे ताकि भूमि का विहित कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में नामान्तरण किया जा सके । इस प्रकार तहसीलदार आसीन्द ने भूमि को निर्बाधित प्रवर्ग में नहीं माना और संपरिवर्तन योग्य माना फिर भी अपने आदेश में निर्बाधित एवं संपरिवर्तन योग्न नहीं मान भारी भूल की हैं। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द ने नामान्तरण इस आधार पर अस्वीकार किया कि आवेदित भूमि बिलानाम थी जिसे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी दर्ज कर दी गई । इस कारण नामान्तरण अस्वीकार किया जाता है । भूप्रबंध विभाग एएसओ तहसील आसीन्द ने पत्रावली सं. 878/89 अनवान तेजमल निर्णय दिनांक 30.06.1989 द्वारा पत्रावली कायम कर भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की । भूप्रबंध विभाग का निर्णय स्टेण्ड हैं। इस निर्णय के विरूद्व कोई अपील नहीं की गई । भूप्रबंध विभाग का निर्णय बहाल हैं। इस निर्णय के विरूद्व जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण निरस्त किया हैं जो विधि विरूद्व हैं। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरण सं. 3479 निर्णय / आदेश दिनांक 07.07.2017 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीया धर्मीचन्द पिता हरदेवी गुर्जर निवासी गोपालपुरा की कृशि आराजी सं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. का नामान्तरकरण नगर पालिका आसीन्द आवासीय प्रयोजन हेतु खोला जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.07.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये जो दिनांक 02.08.2017 को प्राप्त हुआ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम आसीन्द तहसील आसीन्द की सरहद में अपीलार्थीया के खातेदार के अधिकार की आराजी सं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. स्थित हैं। अपीलार्थीया इस भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना चाहती हैं। इस हेतु नगर पालिका आसीन्द में प्रार्थना पत्र पेश किया । नगर पालिका आसीन्द ने तहसीलदार आसीन्द को आवासीय प्रयोजनार्थ एन.ओ.सी. हेतु पत्र भेजा । तहसीलदार आसीन्द की सहमति रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगर पालिका आसीन्द द्वारा दिनांक 04.11.2016 को अखबार में लोक सूचना प्रकाशित की । इसके बाद सहायक नगर नियोजक कार्यालय जिला नगर नियोजक ईकाई भीलवाडा द्वारा दिनांक 23.12.2016 को साईट प्लान स्वीकृत किया गया । इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी (अधिशासी अधिकारी) नगर पालिका आसीन्द ने अपने आदेश दिनांक 05.05.2017 द्वारा भूमि का आवासीय अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार कर तहसीलदार आसीन्द को भूमि का स्थानीय प्राधिकारी के नाम 7 दिवस में नामान्तरण खोलने का आदेश प्रदान किया । इस पर

तहसीलदार आसीन्द ने नियमों के विरूद्व जाकर नामान्तरण सं. 3479 दिनांक 07.07.2017 को निरस्त कर दिया जो विधि एवं तथ्यों के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय आसीन्द ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा हैं कि आवेदित भूमि किसी निर्बाधित प्रवर्ग में नहीं हैं तथा गैर कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है तथा धारा 90 (क) राज. भू राजस्व अधिनियम के अधीन आदेश से कृपया सूचित करे ताकि भूमि का विहित कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में नामान्तरण किया जा सके । इस प्रकार तहसीलदार आसीन्द ने भूमि को निर्बाधित प्रवर्ग में नहीं माना और संपरिवर्तन योग्य माना फिर भी अपने आदेश में निर्बाधित एवं संपरिवर्तन योग्न नहीं मान भारी भूल की हैं। भूप्रबंध विभाग एएसओ तहसील आसीन्द ने पत्रावली सं. 878/89 अनवान तेजमल निर्णय दिनांक 30.06.1989 द्वारा पत्रावली कायम कर भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की । भूप्रबंध विभाग का निर्णय स्टेण्ड हैं। इस निर्णय के विरूद्व कोई अपील नहीं की गई । भू प्रबन्ध विभाग के निर्णय दिनांक 30.06.1989 से बिलानाम भूमि को खातेदार के नाम दर्ज कर दिये जाने एवं किस्म पेटा तालाब से भू.मा. परिवर्तन कर दिये जाने के विरूद्व तहसीलदार धारा 82 में रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकते है। इस निर्णय के विरूद्व जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण निरस्त किया हैं जो विधि विरूद्व हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरण सं. 3479 निर्णय / आदेश दिनांक 07.07.2017 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीया धर्मीचन्द पिता हरदेव गुर्जर निवासी गोपालपुरा की कृषि आराजी सं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. का नामान्तरकरण नगर पालिका आसीन्द आवासीय प्रयोजन हेतु खोला जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम आसीन्द के आ.नं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. किस्म चाही उत्तम भूमि अपीलार्थी की खातेदारी होने से एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसीन्द द्वारा दिनांक 07.04.2017 से आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान कर दिये जाने से नामान्तरकरण सं. 3479 का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार होना चाहिये । उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार आसीन्द द्वारा दिनांक 07.07.2017 को खारिज किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं।

विपक्षी सं. 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि भूमि खातेदारी में दर्ज थी । उक्त भूमि साबिक रिकार्ड से पूर्व में बिलानाम दर्ज होने के आधार पर नामान्तरण निरस्त किया । तहसीलदार आसीन्द द्वारा पटवारी / गिरदावर से रिपोर्ट ली गई जिस अनुसार आवासीय अकृषिक प्रयोजन अनुसार आदेश दिनांक 07.04.2017 अनुसार खातेदार के नाम से अकृषिक प्रयोजन का नामान्तरण खुलना चाहिये ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम आसीन्द के आ.नं. 3889 क्षैत्रफल 0.2900 हैक्ट. के नये नम्बर 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. किस्म चाही उतम के पुराने खसरा नम्बर 753 मी. रकबा 5.04 बीघा से बने हैं। आराजी नं. 753 मी. रकबा 5.04 बीघा किस्म पेटा तालाब गोपालसागर (आबादी 0.11 बिस्वा के आ.नं. 2632 /753) दर्ज रिकार्ड हैं । उक्त भूमि को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के आज्ञा पत्र सं. 878/89 निर्णय दिनांक 30.06.89 से उक्त बिलानाम भूमि का इन्द्राज खारिज कर खातेदारी से तेजमल पुत्र नन्दलाल संचेती साकिन बाजून्दा हिस्सा 1/2 , छोगा पुत्र हुकमा खाती सा.दे. हिस्सा 1/2 का नाम दर्ज करने आदेश प्रदान किये गये हैं । आराजी नं. 7289/3889 के साबिक आराजी नं.

753 मी. व आ.नं. 2632/753 बिलानाम दर्ज होने के आधार पर ग्राम आसीन्द के नामान्तरण सं. 3479 को दिनांक 7.7.2017 को तहसीलदार आसीन्द द्वारा खारिज किया गया । ग्राम आसीन्द के आ.नं. 7289/3889 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अधीन गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा जारी किये जाने संबंधी आवेदन पत्र आशा देवी पत्नी धर्मीचन्द गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील आसीन्द ने प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका आसीन्द को प्रस्तुत किया । इस आवेदन पत्र पर तहसीलदार आसीन्द ने अपने पत्र कमांक /राजस्व/2016/209 दिनांक 17.11.2016 से आवेदक की कृषि भूमि को गैर कृषिक आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन बाबत् सहमति दी गयी है। इस सहमति के आधार पर कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका आसीन्द द्वारा प्रकरण सं. 496 वर्ष 2016–17 आदेश दिनांक 07.04.17 से ग्राम आसीन्द के आराजी नं. 7289/3889 क्षैत्रफल 0.0331 हैक्ट. भूमि को खातेदार श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री धर्मीचन्द गुर्जर निवासी गोपालपुरा को आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

ग्राम आसीन्द के साबिक आराजी आ.नं. 753 मी. 5.04 बीघा भूमि किस्म पेटा तालाब बिलानाम को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा ने आज्ञा पत्र सं. 878/89 निर्णय दिनांक 30.06.89 से उक्त बिलानाम भूमि का इन्द्राज खारिज कर तेजमल पुत्र नन्दलाल संचेती साकिन बाजून्दा हिस्सा 1/2 , छोगा पुत्र हुकमा खाती सा.देह. हिस्सा 1/2 का नाम खातेदारी से दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं । तेजमल पुत्र नन्दलाल संचेती ने उक्त भूमि हीरालाल पिता बन्ना गुर्जर साकिन शिवपुर तहसील माण्डल को विकय की गयी । जिसका नामान्तरकरण सं. 2796 निर्णय 17.06.2013 से हीरालाल गुर्जर के नाम पर दर्ज हुआ । इसके पश्चात् हीरालाल पिता बन्ना गुर्जर ने उक्त भूमि को धर्मीचन्द पिता हरदेव गुर्जर साकिन गोपालपुरा को विकय किया जिसका नामा. सं. 3222 दिनांक 06.01.2016 से धर्मीचन्द गुर्जर के नाम दर्ज हुआ । धर्मीचन्द पिता हरदेव गुर्जर साकिन गोपालपुरा द्वारा उक्त भूमि को आशा देवी पत्नी धर्मीचन्द गुर्जर के नाम पर विकय किया गया । जिसका नामा. सं. 3335 दिनांक 23.09.2016 से आशा देवी के नाम पर दर्ज हुआ । विभाजन से खाता आशा देवी पत्नी धर्मीचन्द गुर्जर साकिन गोपालपुरा के नाम पर आराजी नं. 7289/3889 क्षैत्रफल 0.0331 हैक्ट. भूमि नामा. सं. 3358 दिनांक 01.10.2016 से आशादेवी गुर्जर के नाम पर दर्ज हुआ हैं । इस प्रकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के आदेश दिनांक 30.06.89 के पश्चात् उक्त भूमि का तीन बार विकय पत्र के जरिये हस्तान्तरण होकर विभाजन से आशा देवी के नाम पर भूमि दर्ज हुयी । तहसीलदार आसीन्द को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 30.06.89 के संबंध में यदि कोई आपत्ति थी , तो उन्हें सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कार्यवाही करवायी जानी चाहिये थी । इसके अलावा तहसीलदार आसीन्द ने नामान्तरकरण सं. 3479 पर निर्णय करने से पूर्व यह भी सत्यापन नहीं किया गया हैं कि ग्राम आसीन्द के साबिक आ.नं. 753 मी. रकबा 5.04 बीघा भूमि किस्म पेटा तालाब गोपाल सागर में से गे.मु. आबादी 0.11 बिस्वा भूमि 2632/753 में अपीलाण्ट की भूमि आती हैं या नहीं ? इसी प्रकार तहसीलदार आसीन्द द्वारा अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन आवासीय आवेदन पत्र पर प्राधिकृत अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसीन्द को संपरिवर्तन कार्यवाही करने में सहमति प्रकट की गयी । इस सहमति के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को अकृषिक प्रयोजन हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी हैं। इस अनुज्ञा पत्र दिनांक 07.04.2017 के आधार पर तहसीलदार आसीन्द ने आदेश कमांक /दस्ती/955 दिनांक 20.04.2017

जारी कर पालना पत्र पटवारी को प्रेषित किया। पटवारी हल्का आसीन्द ने दिनांक 24.05.2017 को नामान्तरण सं. 3479 दायर किया। इस नामान्तरण पर तहसीलदार आसीन्द द्वारा दिनांक 05.06.2017 को निम्न आक्षेप अंकित करते हुये पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से रिपोर्ट तलब की –

1. संबंधित आराजी की सेटलमेण्ट से पूर्व की स्थिति स्पष्ट करें।
2. क्या संबंधित आराजी पर किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार तो नहीं हैं तथा स्थगन तो नहीं है?

   पटवारी हल्का आसीन्द ने दिनांक 08.06.2017 को रिपोर्ट अंकित की है जो इस प्रकार हैं– " उक्त भूमि आंवटित होकर सेटलमेण्ट विभाग ने मिसल कायम कर खातेदारी दर्ज की गई । न्यायालय में कोई वाद / स्थगन आदि नहीं हैं तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र संलग्न हैं तथा आज्ञा पत्र से उक्त आराजी नम्बर खातेदारी से दर्ज की गई ।"

   गिरदावर हल्का ने दिनांक 06.07.2017 को रिपोर्ट अंकित की है जो इस प्रकार है– "पुराने रिकार्ड की जांच की गई । नये ख.सं. 3889 क्षैत्रफल 0.29 हैक्ट. के नये ख.सं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. किस्म चा.उतम जा. उतम की मिलान क्षैत्रफल से पुराने आ. नं. 753 मी. रकबा 5.04 बीघा से बने हैं, जो संलग्न मिलान क्षैत्रफल प्रतिलिपि से स्पष्ट हैं। जो जमाबंदी संवत् 2033–36 (अपठित) के खाता सं. 1 में बिलानाम गे.का. का. आराजी नं. 753 रकबा 5.04 बीघा किस्म पेटा तालाब गोपाल सागर गे.मु. (आबादी 0.11 आराजी नं. 2632/753) दर्ज रिकार्ड होकर प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती हैं। नामा. सं. 3489 में पटवारी हल्का द्वारा चस्पा फोटोप्रति के अनुसार उक्त भूमि को आज्ञा पत्र सं. 878/89 निर्णय दिनांक 30.06.89 से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त बिलानाम भूमि का इन्द्राज खारिज कर खातेदारी दर्ज की गयी । उक्त आराजी नं. के आवासीय प्रयोजनार्थ के रूपान्तरण की कार्यवाही आदेशानुसार होकर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज किया गया ।"

   तहसीलदार आसीन्द ने दिनांक 07.07.2017 को नामान्तरण पर निम्न आदेश पारित किया हैं– " मुताबित रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का के नामान्तरण में अंकित आराजी सेटलमेण्ट में पूर्व बिलानाम होने के कारण नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है।

   अपीलार्थी ने ग्राम आसीन्द के आराजी नं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. भूमि विक्रय पत्र से कय की गयी हैं । विक्रय पत्र के आधार पर ही अपीलार्थी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुयी हैं ।

   अपीलार्थी ग्राम आसीन्द के आराजी नं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. भूमि का खातेदार होकर उक्त भूमि को 90 क के अन्तर्गत नगर पालिका आसीन्द से आवासीय अकृषिक प्रयोजन दिनांक 07.4.2017 से रूपान्तरण करवाया गया । रूपान्तरण आदेश पर तहसीलदार आसीन्द द्वारा नामान्तरण कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का आसीन्द को पत्र कमांक 955 दिनांक 20.04.2017 प्रेषित किया जिसकी पालना मे पटवारी हल्का नामा. सं. 3489 दायर किया । इस नामान्तरण पर तहसीलदार आसीन्द ने उक्त आराजी के सेटलमेण्ट में पूर्व में बिलानाम होने के कारण नामान्तरण को अस्वीकार करने का दिनांक 07.07.2017 को आदेश पारित किया गया है । सेटलमेण्ट के पूर्व में उक्त भूमि के बिलानाम होने के आधार पर नामान्तरण को निरस्त करने का जो आदेश तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रदान किया गया है जो युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता

है, जबकि उक्त आराजी के साबिक आराजी नं. 753 मी. रकबा 5.04 बीघा भूमि किस्म पेटा तालाब गोपाल सागर में से 0.11 बिस्वा भूमि गे. मु. आबादी जिसके आराजी नं. 2632/753 होना पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने नामान्तरण की रिपोर्ट पर अंकित की गई हैं । अपीलार्थी की आराजी नं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. भूमि साबिक आराजी नं. 753 मी. में से आराजी नं. 2632/753 क्षैत्रफल 0.11 बिस्वा भूमि गे.मु. आबादी में आती हैं या 753 मी. किस्म पेटा तालाब गोपाल सागर में आती है ? यह स्पष्ट नहीं हैं। यदि अपीलार्थी की भूमि गे.मु. आबादी में आती हैं तो तद्नुसार कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि अपीलार्थी की भूमि 753 मी. किस्म पेटा तालाब गोपाल सागर में आती हैं, तो ए.एस.ओ. भीलवाडा के निर्णय दिनांक 30.06.1989 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जानी चाहिये । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार आसीन्द के संबंध में स्वीकार कर बमामलें नामान्तरकरण आदेश सं. 3479 दिनांक 07.07.2017 को अपास्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार आसीन्द को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की आराजी नं. 7289/3889 रकबा 0.0331 हैक्ट. भूमि साबिक आराजी नं. 753 मी. में से आराजी नं. 2632/753 क्षैत्रफल 0.11 बिस्वा भूमि गे.मु. आबादी में आती हैं या 753 मी. किस्म पेटा तालाब गोपाल सागर में आती है ? यह स्पष्ट नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों को मध्येनजर रखते हुये उभयपक्षकारान् की नये सिरे से सुनवायी कर साबिक व हाल रिकार्ड का परीक्षण कर विधिवत रूप से पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा